तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41/2024 (2024/110) अनवान पुखराज बनाम कमला वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 456/1 रकबा 4.0307 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 457/1 रकबा 1.8292 हैक्टेयर भूमि मौजा श्री जम्भेश्वर नगर पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। वादग्रस्त पड़ौस में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की खातेदारी भूमि है जिसके खसरा नम्बर 458/8 है तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 23 की खातेदारी भूमि है जिसके खसरा नम्बर 456 व 457 है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कब्जा व काश्त सुदा भूमि की तरफ की सीमाओं को अप्रार्थीगण द्वारा आगे पीछे करके खुर्द बुर्द कर दी थी, इसलिए प्रार्थी ने सीमाज्ञान की राशि राजकोष में जमा करवा कर के दिनांक 13.12.2023 को तहसीलदार लूणी के आदेशानुसार हल्का पटवारी दिनांक 16.01.2024 को मौके पर खसरा नम्बर 456/1 रकबा 4.0307 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 457/1 रकबा 1.8292 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु पहुँचा परन्तु मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच विवाद होने के कारण उक्त भूमि का सीमांकन ज्ञान नही किया जा सका। मौके पर अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा है इसलिए प्रार्थी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 456/1 रकबा 4.0307 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 457/1 रकबा 1.8292 हैक्टेयर भूमि ग्राम जम्भेश्वर की कृषि भूमि राजस्व नक्शे व मौके पर प्रार्थी के खसरो का नाप किया जाकर पत्थरगढी किये जाने एवं एस.एच.ओ. लूणी को उक्त पत्थरगढी के कार्य सम्पादन में मौके पर समुचित पुलिस इमदाद दिलाई जावे ताकि मौके पर किसी प्रकार की अशान्ति नही हो तथा तहसीलदार लूणी को प्रार्थी के हिस्से अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस की रजिस्टर्ड ऐडी की रशीदे पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 5 की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा ने दिनांक 19.02.2025 को वकालतनामा पेश कियां परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 में यह अंकित है कि खातेदारों के खेत के बीच की मेड पर विवाद है जबकि रिपोर्ट दिनांक	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

7.5.2025 में भूप्रबन्ध से तकनीकी सहायता चाही गई है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी खेत खसरों की पत्थरगढी के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो एक खातेदार का अधिकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 456/1 रकबा 4.0307 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 457/1 रकबा 1.8292 हैक्टेयर भूमि ग्राम जम्भेश्वर नगर का नियमानुसार बाद सीमांकन पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करे। यदि सीमांकन में तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो प्रार्थी अपने स्तर से तहसीलदार लूणी के माध्यम से विधिवत कार्यवाही कर तकनीकी सहयोग लेने को स्वतंत्र है। आदेश लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी